संख्या- 17 /2016/1509/एक-6-2015-142(50)/2015

प्रेषक,

डी0के0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2016**

विषय: उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ड्राइवर सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 1985 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-24/6-नजारत -17/2012 दिनांक 09-11-2015 एवं पत्र संख्या-जी-27/6-नजारत-17/2012 दिनांक 09-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ड्राइवर सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 1985 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 1993 में अध्यारोही प्रभाव की " उ0प्र0 सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 " (यथा संशोधित) निर्गत की गयी है, जिसमें तृतीय संशोधन के रूप में वर्ष 2013 में संशोधन किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त संदर्भित नियमावली के प्राविधान राजस्व परिषद की संगत सेवा नियमावली पर भी अधिभावी प्रभाव रखते है, अर्थात कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत नियमावली के अनुसार ही राजस्व परिषद के ड्राइवरो की भी सेवायें विनियमित/शासित होगी। उक्त स्थिति के दृष्टिगत राजस्व परिषद की ड्राइवर सेवा नियमावली में संशोधन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया तद्नुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0के0 सिंह)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in